

उनवान:- रामस्वरूप बनाम मोटी वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को ख०न० 2018 किस्म गै०मु० चाह की आराजी में गोबर व कचरा डालकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 26.09.2018 तक विवादग्रस्त आराजी 2018 रकवा 0.01 गै०मु०चाह ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि में प्रार्थी को उक्त आराजी में जो रास्ता चालू है। उसमें व्यवधान पैदा नहीं करने की यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। आगामी सुनवाई तिथि पर दूसरे पक्ष को सुने जाने के उपरान्त स्थगन वावत निर्णय किया जावेगा।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.09.2018 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

31/3-21  
31/8/18

# यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

## फर्द अहकाम

21.8.19  
 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करी (की)  
 पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार  
 दिनांक 24.9.19 को पेश हो।

24.9.19  
 वकूलाय उप। जबाब पेश कलें पुनः समय - पाहा/प्रकरण  
 में प्रक में ही पर्याप्त दिवस दिए जा चुके हैं भागामी सुधारों  
 सिद्धी पा जबाब पेश कलें एक मौखी दिया जाता है दिनांक  
 23.10.19 को पेश हो।

23.10.19  
 वकूलाय उप। जबाब पेश कलें पुनः समय - पाहा/प्रकरण  
 में प्रक में ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है न्यायहित में एक  
 अतिम मौखी दिया जाता है जबाब पेश कलें दिनांक  
 22.11.19 को पेश हो।

22.11.19  
 वकूलाय उप। प्रार्थी रामस्वरूप उप। प्रार्थी एवं  
 प्रार्थी वकील ने Not Press कर मुकदमा खारिज  
 करने का कथन किया। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकृत  
 निवेधाना Not Press में खारिज किया जाता है।  
 पत्रावली कैलल शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
 दाखिल दफतर हो।

उपजिला कलक्टर  
 टोडाभीम (करौली)

Not Press  
 दस्तावेज संख्या  
 10/19

